

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 103]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 9 मार्च 2020—फाल्गुन 19, शक 1941

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2020

क्र. एफ 10-02-2020-सत्रह-मडि-2.—भारत के विभिन्न भागों में नोवल कोरोना (COVID-19) के संक्रमण से स्वास्थ्य व जीवन की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति के परिपेक्ष्य में मध्यप्रदेश में संक्रमण की संभावना को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट, 1949 के सेक्शन 71(2) में प्रावधानित समस्त अधिकार प्रदत्त किये जाते हैं.

उपरोक्त अधिकार आगामी आदेश तक प्रभावी होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव चन्द्र दुबे, सचिव.